

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ।

(19सी विधान सभा मार्ग, तुलसी गंगा काम्प्लेक्स)

पत्र संख्या: पीआरपीबी-स-2/03-2011

दिनांक: अक्टूबर ,2011

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ मे पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती 2009 से सम्बन्धित जहाँ है जैसा है के आधार पर ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रकों व उसके संलग्नकों (अनुदेश पुस्तिका, लिफाफों, चेक लिस्ट आदि) जिनका अनुमानित वजन लगभग एक हजार कुन्तल होगा, को श्रेड कराकर (चार टुकड़ों में विभाजित कर) प्राप्त कतरन/रद्दी का निस्तारण दिनांक 24-11-2011 को साय 16:00 बजे नीलामी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

1- प्रतिदिन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्रकों व उसके संलग्नकों (अनुदेश पुस्तिका, लिफाफों, चेक लिस्ट आदि) के श्रेडिंग के उपरान्त प्राप्त कतरन/रद्दी को ठेकदार को प्रतिदिन उठाना होगा ।

2-बोली की न्यूनतम धनराशि रु0 1943/- प्रति कुन्तल होगी।

3-बोलीदाता/ठेकेदार को बोली बोलने से पूर्व 30,000/- रुपया की धनराशि बयाने के रूप में जमा करनी होगी अन्यथा बोलीदाता/ठेकेदार बोली बोलने का हकदार नहीं होगा। यदि उच्चतम बोली बोलने वाला अपनी बोली छोड़कर चला जाता है तो उनकी बयाने की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। अधिकतम बोलीदाता की धनराशि रोककर शेष बोलीदाता/ठेकेदारों की जमा राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी । अधिकतम बोलीदाता/ठेकेदार को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत की धनराशि अग्रिम के रूप मे दो दिवस के अन्दर नकद जमा करनी होगी। यदि पूर्ण धनराशि जमा करने मे बोलीदाता/ठेकेदार असमर्थ रहेगा तो समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता/ठेकेदार की नीलामी स्वीकार कर ली जायेगी ।

4-अधिकतम बोली जो स्वीकृत की जायेगी उसमे बोलीदाता को समस्त प्रकार के देय टैक्स जमा करने होंगे। बोली का जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है उससे कम बोली होने पर नीलामी की कार्यवाही उसी दिन निरस्त कर दी जायेगी तथा नीलामी की अगली तिथि निर्धारित की जायेगी ।

5-नीलामकर्ता अधिकारी किसी की ऊँची बोली को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होंगे। नीलामी स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार सदस्य सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ का होगा। सदस्य सचिव का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। प्रत्येक बोलीकर्ता अपनी बोली से बाध्य होगा भले ही वह ऊँची हो या न हो तथा नीलामी की राशि की माफी पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

6-कोई व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लिए उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है प्राधिकार न प्राप्त किया हो।

7-किसी भी ऐसी घटना जिसमें नीलामकर्ता अधिकारी को संदेश हो कि भण्डारण का मूल्य वसूला नहीं जा सकता है तो वे नीलामी को रोक देंगे।

8-फर्म द्वारा कतरन एवं रद्दी को बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने लेबरों के माध्यम से श्रेडिंग कराना होगा। श्रेडिंग के उपरान्त प्राप्त कतरन/रद्दी की अधिकतम बोली बोलने वाले बोलीदाता/ठेकेदार को प्रतिदिन बोर्ड कार्यालय से तौल कराने के उपरान्त अपने लेबरों/वाहन के द्वारा रद्दी उठानी होगी तथा प्रतिदिन के मूल्य का भुगतान करना होगा।

9-यदि सफल बोलीकर्ता निश्चित अवधि के भीतर बकाया राशि के भुगतान में असमर्थ रहता है तो उसके पक्ष में किया गया नीलाम निरस्त कर दिया जायेगा और उसके द्वारा निक्षेपित अग्रिम धन की एक तिहाई धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे बोलीकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार सदस्य सचिव के पास सुरक्षित रहेगा।

10-रद्दी का निस्तारण नामित राजपत्रित अधिकारी की उपस्थित में किया जायेगा। यदि बोलीदाता नीलामी स्वीकृत होने के प्रथम 03 दिवस में सामग्री बोर्ड परिसर से नहीं हटाता है तो रु0 500/- एवं तत्पश्चात प्रत्येक दिवस रु0 500/- प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के रूप में जमा करना होगा।

11-यदि सक्षम अधिकारी द्वारा बोली का अनुमोदन नहीं होता है तो सफल बोलीकर्ता द्वारा लगाई गई नीलामी राशि उसे वापस कर दी जायेगी तथा उसके पक्ष में किया गया नीलाम शून्य माना जायेगा।

12-उपरोक्त शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर मामला सदस्य सचिव द्वारा नियुक्त विवाचक को अधिनिर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय उस पर अंतिम तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

13-अनुमानित वजन की मात्रा घट या बढ़ सकती है, उसी के अनुसार अधिकतम बोली का 25 प्रतिशत बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा जमा करना होगा।

14-किसी भी वाद के मामले में वाद का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।

(पी0के0मिश्र)

पुलिस अधीक्षक,

उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।